HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 18248/2026
CNR: RJHC021100612026 | URN: CRLMB / 33482U / 2026

1. Saarudeen Alias Sheru S/o Shree Samsudeen, Aged About 50 Years, R/o Panchroliya Khurd Police Station Medta City, District Nagor. (At Present Lodged In Central Jail, Ajmer).
2. Lakshman Ram Meghwal @ Modya S/o Shree Chenaram Meghwal, R/o Panchroliya Khurd Police Station Medta City, District Nagor. (At Present Lodged In Central Jail, Ajmer).

----Petitioners

Versus

The State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Sneh Deep Khyaliya, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Devi Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

23/11/2026

प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र बी.एन.एस.एस. की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना–हरिभाऊ उपाध्याय नगर, जिला अजमेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**61/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 303(2) बी.एन.एस. में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्तगण ने तर्क दिया कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, वे करीब पांच माह से अभिरक्षा में है, बाद अनुसंधान आरोप पत्र पेश हो चुका है, विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

Digitally signed by
DINESH KUMAWAT
Date: 2026.11.25
10:11:07 IST

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

यद्यपि अभियुक्तगण का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन वर्तमान मामले में प्रार्थी–अभियुक्तगण के विरूद्ध वाहन चोरी करने का आरोप है। अभियुक्तगण पांच माह से अभिरक्षा में हैं, अनुसंधान होकर आरोप पत्र पेश हो चुका है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी–अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **सारूदीन उर्फ शेरू पुत्र सम्सुदीन तथा लक्ष्मण राम मेघवाल उर्फ मोडया पुत्र चेनाराम मेघवाल** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु प्रत्येक द्वारा एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो हस्तगत प्रकरण में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J

Crt_7/D-A/65/DINESH KUMAWAT